हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

29/12/20 उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से [illegible] अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली [illegible] 7.1.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7/1/21 उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से [illegible] है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 18.3.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

18/3/21 उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से [illegible] अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27.5.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27/5/21 उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बा[illegible] अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15.7.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15/7/21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दी० का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.4.21 को प्रतिवादी सं. 1 श्री गोपाल कृष्ण ओझा की मृत्यु हो जाना जाहिर करते हुए वाद पत्र मे पूर्व मे [illegible] होने हो उनके वारीसान रेकार्ड पर [illegible] से मृतक का नाम डिलिट [illegible] प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार कर मृतक का नाम डिलिट करने बाबत् जाहिर किया। अतः प्रतिवादी गोपाल कृष्ण ओझा की मृत्यु हो जाने से यरदल से उसका नाम डिलिट करने का आदेश दिया

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में ...

जाता है. टाईटल्स मे खोलस्याही से नाम डिलिट करने का अंकन किया जावे। पक्षकारान् ने उक्त प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य समझौता पत्र पेश किया जिसे प्र.प. किया गया। समझौता पत्र के मुताबिक वाद पत्र डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। समझौता पत्र लिखित मे प्रस्तुत हुआ। पक्षकारो से पूछताछ की गई तो समझौता पत्र के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का कथन किया। समझौता पत्र को तस्दीक किया गया। समझौता पत्र इस निर्णय व डिक्री का भाग होगा।

समझौता पत्र के मुताबिक –

(1) मृतक गोपालकृष्ण के द्वारा अपनी खातेदारी हक की आराजियात मे से प्रतिवादी विजयेन्द्र, श्रीमती अल्का एंव गौतम, कृष्णकान्त के पक्ष मे जो दानपत्र निष्पादित कर पंजीयन करवाये गये है, उसके आधार पर राजस्व रेकार्ड मे खाते अलग-अलग हो गये उक्त दानपत्र के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज खाते यथावत रहेगें। जिसमे किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नही है। यानि वे अलग-अलग खाते पंजीकृत दानपत्र से अलग हुए है, वे यथावत रहेगे।

(2) कि वर्तमान मे मृतक गोपालकृष्ण पिता अमृतलाल के नाम पर खाता कायम है, उनमे से निम्नानुसार आराजियात को कम करके वादी जगदीशचन्द्र पिता गोपालकृष्ण के नाम खातेदारी हक से एंव प्रतिवादिया वर्षा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कर अलग अलग खाता कायम करने मे सभी पक्षकारान् को कोई आपत्ति नही है :-

1. वादी जगदीशचन्द्र के नाम [illegible] तेदारी हक से निम्नांकित आराजियात दर्ज [illegible] :-

आराजी नं.	[illegible]	रकबा
4704	0.0379	0.03 बिस्वा
4725	0.0885	0.07 बिस्वा
4710	0.0506	0.04 बिस्वा

→

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4753	0.0138	0.09 बिस्वा
4382	0.1391	0.11 बिस्वा
4952	0.2023	0.16 बिस्वा
4953	0.0632	0.18 बिस्वा — में से 0.05 बिस्वा जो आराजी नं. 4952 से सटा हुआ

2 प्रतिवादिया वर्षा पत्नी लवेशकुमार पुत्री गोपालकृष्ण ओझा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रहेगा :-

आराजी नं.	क्षेत्रफल	रकबा
4123	0.1897	0.15 बिस्वा
4720	0.0506	0.09 बिस्वा
4812	0.1518	0.12 बिस्वा
4829	0.1770	0.14 बिस्वा
5495	0.1265	0.10 बिस्वा
5563	0.1391	0.11 बिस्वा

3. कि प्रतिवादी कृष्णकांत अपनी आराजियात मे से 0.03 बिस्वा भूमि वादी जगदीशचन्द्र के हिस्से की आराजियात से लगती हुई भूमि देगा। उसका राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जायेगा

4. कि उक्त वाद पत्र के पक्षकारो के मध्य किसी भी प्रकार का लेन देन बकाया नहीं है। संबधित पक्ष अपने-अपने मामले उठा लेगे अथवा हरवा लेगे।

उक्तानुसार समझौते के मुताबिक [illegible] कर वाद पत्र डिक्री किया [illegible] जारी हो। खर्चा फरिकैन [illegible] करे) तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे [illegible] ल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री डॉ. पूजा सक्सेना (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री जगदीश चन्द्र S/o श्री गोपाल कृष्ण ओझा निवासी - माण्डल हाल निवासी आर - 85 विजयसिंह पथिक नगर भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. श्रीमती वर्षा D/o श्री गोपाल कृष्ण ओझा निवासी B-86 सर्वोदय पब्लिक स्कूल के पास, खेड़ाखुट माताजी के मन्दिर के पीछे, संजय कॉलोनी भीलवाड़ा
2. श्री कृष्णकान्त S/o श्री गोपालकृष्ण ओझा निवासी 17 महेश कॉलोनी गुरूजी की होटल के पीछे आजादनगर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92(3) मुकदमा नं0 / वर्ष 186/2 निर्णय दिनांक 15-7-21

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री कमलेश मेहता Adv. श्री श्यामलाल वैद Adv. मुकाबिल मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र आपसी राजीनामे अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे स्थित आराजियात निम्नांकित रूप से वादी एवं प्रतिवादी के दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे।

1. जगदीशचन्द्र S/o श्री गोपाल[illegible] ओझा निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल

आराजी नं. / क्षेत्रफल = 4704 / 0.0379, 4725 / 0.0889, 4710 / [illegible], 47[illegible] / [illegible], [illegible]382 / [illegible]39, 4952 / [illegible]023, 4953 / 0.0632 मे से

2 कबा = 03 बिस्वा, 07 बिस्वा, 04 बिस्वा, [illegible], [illegible], 16 बिस्वा, 18 बिस्वा (05 बिस्वा जो आराजी नं. 4952 से सट [illegible])

आज तारीख 15-7-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

1. वर्षा W/o लकेशकुमार गोस्वामी D/o श्री गोपालकृष्ण ओझा निवासी B-88 सर्वोदय पब्लिक स्कूल के पास खेड़ा खूंट जी के मन्दिर के पीछे संजय कॉलोनी भीलवाड़ा

आराजी नं.	क्षेत्रफल	रकबा
4123	0.1897	0.15 बिस्वा
4720	0.0506	0.09 बिस्वा
4812	0.1518	0.12 बिस्वा
4829	0.1770	0.14 बिस्वा
5495	0.1265	0.10 बिस्वा
5563	0.1391	0.11 बिस्वा

2. प्रतिवादी कृष्णाकांत अपनी आराजियात मे से 00.03 बिस्वा भूमि वादी जगदीशचन्द्र के हिस्से की आराजियात से लगती हुई भूमि उसमे से देगा।

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested